

पंजीकृत डाक द्वारा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

(भवन प्रकोष्ठ)

मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नोएडा(उ ०प्र०)

संख्या नोएडा/मुवा०नि०/२०१६/III-२४८/ ९२।

दिनांक:

२१/७/१६

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

उत्तर प्रदेश

सेवा में

मैसर्स कैपिटल इन्फा प्रोजेक्ट प्रा० लिमिटेड

जीएच-०१ई, सेक्टर-१६८

नोएडा

प्रिय महोदय,

मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि वास्तुविद श्री ज्ञान पी० माथूर काउन्सिल आफ आर्कटिक्सर पंजीकरण संख्या सी०१०/८०/५७०९ समूह/कर्म के परिवेष्काण में ग्रुप हाऊसिंग भूखण्ड संख्या-जी०१०एच०-०१ई, सेक्टर-१६८, नोएडा में टॉवर सं०-D,E,F,G,H,J & K पर पूरे किये गये भवन का निर्माण /पुनर्निर्माण /परिवर्तन/ निरीक्षण किया गया है तथा मैं घोषणा करता हूँ कि सम्बन्धित पंजीकृत वास्तुविद के समूह/कर्म द्वारा प्रस्तुत किये गये संरचना मजबूती प्रमाण पत्र तथा समापन प्रमाण पत्र के आधार पर अधिभोग संरचना मजबूती, अग्निसुरक्षा, अन्दर तथा आस पास की स्वच्छता और सफाई सम्बन्धी स्थितियों के सम्बन्ध में यह रहने तथा अधिभोग के योग्य है ।

यह आंशिक अधिभोग पत्र दिनांक 22.03.16 को प्राधिकरण द्वारा किये गये निरीक्षण के आधार पर जारी किया जा सकता है । यदि आवंटी द्वारा भूखण्ड/ भवन में निरीक्षण की तिथि के बाद कुछ परिवर्तन किया/किये जाते हैं अथवा नोएडा विल्डिंग रेगुलेशन तथा डायरेक्शन/ भवन नियमावली के विरुद्ध कोई निर्माण किया जाता है तो ऐसे निर्माण के विरुद्ध उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा -10 के अन्तर्गत हटाने की कार्यवाही आपेक्षित होगी । भविष्य में भूखण्ड/ भवन में नोएडा विल्डिंग रेगुलेशन तथा डायरेक्शन/ भवन नियमावली के अनुसार विस्तार का अलग से मानविक स्वीकृत करने तथा उस भाग का आधिभोग पत्र नियमानुसार प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा उसका पूर्ण वायित्व सम्बन्धित आवंटी/भू-खामी का होगा ।

संलग्न: भवन का कम्पलीशन प्लान ।

मू-आच्छादन का विवरण

भूखण्ड का क्षेत्रफल

= 39,999.76 वर्ग मी०

सम्पूर्ण योजना में अनुमन्य भू-आच्छादित क्षेत्रफल

= 15,999.904 वर्ग मी० (40%)

सम्पूर्ण योजना में खींकृत भू-आच्छादित क्षेत्रफल

= 6969.273 वर्ग मी० (17.42 %)

वर्तमान में निर्मित भू-आच्छादन क्षेत्रफल (7 टॉवर्सी)

= 33,62.046 वर्ग मी० (8.40%)

शेष भू-आच्छादित क्षेत्रफल

= 12,637.854 वर्ग मी०

एफ०ए०आर० का विवरण

सम्पूर्ण योजना में अनुमन्य एफ०ए०आर० (2.75)

= 1,09,999.34 वर्ग मी०

सम्पूर्ण योजना में स्वीकृत एफ०ए०आर०

= 1,09,413.538 वर्ग मी०

वर्तमान में निर्मित एफ.ए.आर. (7 टॉवर्स)	= 49,177.881 वर्ग मी०
समूर्धे योजना में शेष एफ.ए.आर.	= 60,821.459 वर्ग मी०
वाणिज्यिक क्षेत्रफल का विवरण	
भूखण्ड का क्षेत्रफल	= 39,999.76 वर्ग मी०
अनुमय एफ.ए.आर. (2.75)	= 1,09,999.34 वर्ग मी०
अनुमय वाणिज्यिक क्षेत्रफल	= एफ.ए.आर. का @1%
रवीकृत वाणिज्यिक क्षेत्रफल	= 1099.93 वर्ग मी०
	= 1012.682 वर्ग मी०
<u>ड्यूलिंग यूनिट्स का विवरण</u>	
वर्तमान में निर्मित ड्यूलिंग यूनिट्स	= 604 यूनिट्स

प्रतिबन्ध-

- यह जारी किये जाने वाला अधिभोग प्रमाण पत्र औखला पक्षी विहार के इको सेन्सेटिव जौन निर्धारण के सम्बन्ध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष विचाराधीन भूमि प्रार्थना पत्र सं-375 वर्ष 2015, परमदीर्घ सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में पारित अंतिम निर्णय के अनुपालन हेतु पटाधारक/उप पटाधारक बाध्य होगी ।
- नोएडा भवन विनियमावली-2010, उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट-2010, पर्यावरण विभाग/माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण तथा अन्य सम्बन्धित राज्य व केन्द्र सरकार के लागू होने वाले सभी अधिनियमों एवं उसके अन्तर्गत नियमों/नियंत्रणों आदि (अध्यावधिक वथा संशोधित एवं प्रभागी) का अनुपालन आबंटी संस्था पर बाध्यकारी होगा ।
- अधिभोग प्रमाण पत्र एवं मानचित्रों में दशायी गयी स्वीकृति के सापेक्ष प्राधिकरण की स्वीकृति प्राप्त किये विना किसी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन आदि किया जाना अनाधिकृत माना जायेगा तथा उसको व्यस्त करकर्हाये जाने की विधिक कार्यवाही की जायेगी ।
- अन्वेषण, लिफ्ट संचालन, वर्षा जल संचालन प्रणाली, जल संखण व रिसाइकिंग, लैण्डर्स्केप/हरित क्षेत्र/खुला क्षेत्र/युक्तारोपण, सीवेज सिस्टम, कूड़ा एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, पर्यावरणीय एवं प्रदूषण सम्बन्धी व्यवस्था व प्रणालियों आदि का रखरखाव व संचालन गुणवत्तापूर्वक करने के साथ हमेशा कार्यशील स्थिति में रखा जाना अनिवार्य होगा अन्यथा समापन मानवित्र निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी ।
- समूर्धे योजना के अधिभोग हेतु आवेदन के समय नियमानुसार पूर्ण दैय लेवर से 30 दिन के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करेंगे ।

संलग्नक: भवन के समापन मानचित्र ।

राज्य विनियमावली-2010
पर्यावरण विभाग
नोएडा भवन विनियमावली-2010
पर्यावरण विभाग
नोएडा भवन विनियमावली-2010

भवदीय
 नाम श्रीमति नील कौर,
 पद नोएडा भवन विनियमावली-2010
 नोएडा

प्रतिलिपि: विशेषकार्यधिकारी(ग्रुप हाउसिंग) को सूचनार्थ ।

पंजीकृत डाक द्वारा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

(भवन प्रकोष्ठ)

मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नोएडा(उ ०प्र०)

संख्या नोएडा/मु०वा०पि०/२०१६/III-२४८ ।०६६

दिनांक:

१८-१०-२०१८

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

उत्तर प्रदेश

सेवा में

मैसर्स कैपिटल इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा० लिमिटेड

जीएच-०१ई, सेक्टर-१६८

नोएडा

प्रिय महोदय,

मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि वास्तुविद श्री ज्ञान पी० माथूर काउन्सिल आफ आर्कीटेक्चर पंजीकरण संख्या सी०१०/८०/५७०९ समूह/कर्म के पर्यवेक्षण में ग्रुप हाऊसिंग भूखण्ड संख्या-जी०एच०-०१ई, सेक्टर-१६८, नोएडा में टॉवर सं०-A,B,L,M,N & Community Centre पर पूरे किये गये भवन का निर्माण /पुनर्निर्माण /परिवर्तन/ गिराये जाने के काम का संलग्न मानचित्र के अनुसार प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है तथा मैं घोषणा करता हूँ कि सम्बन्धित पंजीकृत वास्तुविद के समूह/कर्म द्वारा प्रस्तुत किये गये संरचना मजबूती प्रमाण पत्र तथा समापन प्रमाण पत्र के आधार पर अधिभोग संरचना मजबूती, अनिसुख्ता, अन्दर तथा आस पास की स्वच्छता और सफाई सम्बन्धी स्थितियों के सम्बन्ध में यह रहने तथा अधिभोग के योग्य है।

यह आंशिक अधिभोग पत्र दिनांक 28.09.18 को प्राधिकरण द्वारा किये गये निरीक्षण के आधार पर जारी किया जा रहा है। यदि आवंटी द्वारा भूखण्ड/ भवन में निरीक्षण की तिथि के बाद कुछ परिवर्तन किया/किये जाते हैं अथवा नोएडा विल्डिंग रेगुलेशन तथा डायरेक्शन/ भवन नियमावली के विस्तृद्ध कोई निर्माण किया जाता है तो ऐसे निर्माण के विस्तृद्ध उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा -10 के अन्तर्गत हटाने की कार्यवाही आपेक्षित होगी। भविष्य में भूखण्ड/ भवन में नोएडा विल्डिंग रेगुलेशन तथा डायरेक्शन/ भवन नियमावली के अनुसार विस्तार का अलग से मानचित्र रखीकृत कराने तथा उस भाग का आधिभोग पत्र नियमानुसार प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा उसका पूर्ण दायित्व सम्बन्धित आवंटी/यू-स्वामी का होगा।

संलग्न: भवन का कम्प्लीशन फ्लान।

भू-आच्छादन का विवरण

भूखण्ड का क्षेत्रफल

सम्पूर्ण योजना में अनुमन्य भू-आच्छादित क्षेत्रफल
सम्पूर्ण योजना में रखीकृत भू-आच्छादित क्षेत्रफल
(पूर्व में अधिभोग जारी सहित)

पूर्व में निर्मित भू-आच्छादन क्षेत्रफल(७ टॉकर्स)
घर्तमान में निर्मित भू-आच्छादन क्षेत्रफल (५ टॉकर्स)

कुल निर्मित भू-आच्छादित क्षेत्रफल

= 39,999.76 वर्ग मी०

= 13,999.916 वर्ग मी० (35%)

= 8825.979 वर्ग मी०

= 3,362.046 वर्ग मी०

= 4285.348 वर्ग मी०

= 7647.394 वर्ग मी०

एफ०ए०आर० का विवरण

सम्पूर्ण योजना में अनुमन्य एफ०ए०आर० (2.75)

= 1,09,999.34 वर्ग मी०

सम्पूर्ण योजना में अनुमन्य एफ०ए०आर० (3.5

= 1,39,999.160 वर्ग मी०

क्रय योग्य एफ०ए०आर० सहित)

सम्पूर्ण योजना में स्वीकृत एफ0ए0आर0	= 1,21,934.443 वर्ग मी0
(क्रय योग्य एफ0ए0आर0 सहित)	
पूर्व में निर्मित एफ.ए.आर.(7 टॉवर्स अधिभोग जारी)	= 49,177.881 वर्ग मी0
वर्तमान में निर्मित एफ.ए.आर.(5 टॉवर्स)	= 54,320.267 वर्ग मी0
कुल निर्मित एफ.ए.आर.(5+7 टॉवर्स अधिभोग जारी सहित)	= 1,03,498.148 वर्ग मी0
सम्पूर्ण योजना में शेष स्वीकृत एफ0ए0आर0	= 18,436.295 वर्ग मी0
ड्यूलिंग यूनिट्स का विवरण	
पूर्व में निर्मित ड्यूलिंग यूनिट्स(अधिभोग जारी)	= 604 यूनिट्स
वर्तमान में निर्मित ड्यूलिंग यूनिट्स	= 404 यूनिट्स
कुल निर्मित ड्यूलिंग यूनिट्स	= 1008 यूनिट्स

प्रतिवन्ध-

1. यह जारी किये जाने वाला अधिभोग प्रमाण पत्र खोखला पक्षी विहार के ईको सेन्सेटिव जौन निर्धारण के सम्बन्ध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष विचाराधीन मूल प्राथना पत्र सं0-375 वर्ष 2015, परमवीर सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में पारित अंतिम निर्णय के अनुपालन हेतु पट्टाधारक/उप पट्टाधारक बाध्य होगे ।
2. नौएडा भवन नियमावली-2010, उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट-2010, पर्यावरण विभाग/माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण तथा अन्य सम्बन्धित राज्य व केन्द्र सरकार के लागू होने वाले सभी अधिनियमों एवं उसके अन्तर्गत नियमों/निर्देशों आदि (अध्यावधिक यथा संशोधित एवं प्रभावी) का अनुपालन आवंटी संस्था पर बाध्यकारी होगा ।
3. अधिभोग प्रमाण पत्र एवं मानचित्रों में दशायी गयी स्वीकृति के सापेक्ष प्राधिकरण की स्वीकृति प्राप्त किये बिना किसी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन आदि किया जाना अनाधिकृत माना जायेगा तथा उसको ध्वरत कर/हटाये जाने की विधिक कार्यवाही की जायेगी ।
4. अग्निशमन, लिफ्ट संचालन, वर्षा जल संचालन प्रणाली, जल संरक्षण व रिसाइकिलिंग, लैण्डस्केप/हरित क्षेत्र/खुला क्षेत्र/वृक्षारोपण, सीवेज सिस्टम, कूड़ा एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, पर्यावरणीय एवं प्रदूषण सम्बन्धी व्यवस्था व प्रणालियों आदि का रखरखाव व संचालन गुणवत्तापूर्वक करने के साथ हमेशा कार्यशील रिथित में रखा जाना अनिवार्य होगा अन्यथा समापन मानचित्र निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी ।
5. सम्पूर्ण योजना के अधिभोग हेतु आवेदन के समय नियमानुसार पूर्ण देय लेबर सेस जमा करना सुनिश्चित करें ।
6. यह अधिभोग प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ जारी किया जा रहा है कि भविष्य में यदि फ्लैट क्रेता द्वारा मानचित्र में बदलाव या किन्ही अन्य कारणों से असहमति व्यक्त की जाती है तो आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।
7. आवंटी संस्था द्वारा रेस (Real Estate Regulatory Act) में दिये गये प्राविधानों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा ।
8. फ्लैट स्वामियों व अन्य के विजिटर्स हेतु कार पार्किंग की व्यवस्था परिसर के भीतर ही करना सुनिश्चित करें । सड़क पर किसी भी प्रकार की पार्किंग न करें ।


संलग्नक: भवन के समापन मानचित्र ।

भवदीय

नाम
पद
नोएडा रोड

प्रतिलिपि: विशेषकार्यधिकारी(ग्रुप हाऊसिंग) को सूचनार्थ ।

Completion Drawing is as per B.I.L.
Laws submitted for approval Please



पंजीकृत डाक द्वारा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

(भवन प्रकोष्ठ)

मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नोएडा(उ ०प्र०)

संख्या नोएडा/मु०वा०नि०/२०१६/III-२४८/ ११०५

दिनांक: २२-०२-२०१९

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

उत्तर प्रदेश

सेवा में

मैसर्स कैपिटल इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा० लिमिटेड

जीएच-०१ई, सेक्टर-१६८

नोएडा

प्रिय महोदय,

मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि वास्तुविद श्री ज्ञान पी० माथूर काउन्सिल आफ आर्कीटेक्चर पंजीकरण संख्या सी००१०/८०/५७०९ समूह/फर्म के पर्यवेक्षण में ग्रुप हाऊसिंग भूखण्ड संख्या-जी०एच०-०१ई, सेक्टर-१६८, नोएडा में टॉवर सं०-० & Commercial पर पूरे किये गये भवन का निर्माण /पुनर्निर्माण /परिवर्तन/ गिराये जाने के काम का संलग्न मानचित्र के अनुसार प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है तथा मैं घोषणा करता हूँ कि सम्बन्धित पंजीकृत वास्तुविद के समूह/फर्म द्वारा प्रस्तुत किये गये संरचना मजबूती प्रमाण पत्र तथा समापन प्रमाण पत्र के आधार पर अधिभोग संरचना मजबूती, अग्निसुरक्षा, अन्दर तथा आस पास की स्वच्छता और सफाई सम्बन्धी स्थितियों के सम्बन्ध में यह रहने तथा अधिभोग के योग्य है।

यह आंशिक अधिभोग पत्र दिनांक 18.01.19 को प्राधिकरण द्वारा किये गये निरीक्षण के आधार पर जारी किया जा रहा है। यदि आवंटी द्वारा भूखण्ड/ भवन में निरीक्षण की तिथि के बाद कुछ परिवर्तन किया/किये जाते हैं अथवा नोएडा विल्डिंग रेगुलेशन तथा डायरेक्शन / भवन नियमावली के विरुद्ध कोई निर्माण किया जाता है तो ऐसे निर्माण के विरुद्ध उ०प्र० ३००० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा -10 के अन्तर्गत हटाने की कार्यवाही आपेक्षित होगी। भविष्य में भूखण्ड/ भवन में नोएडा विल्डिंग रेगुलेशन तथा डायरेक्शन/ भवन नियमावली के अनुसार विस्तार का अलग से मानचित्र स्वीकृत करने तथा उस भाग का अधिभोग पत्र नियमानुसार प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा उसका पूर्ण दायित्व सम्बन्धित आवंटी/भू-स्वामी का होगा।

संलग्न: भवन का कम्प्लीशन प्लान।

भू-आच्छादन का विवरण

भूखण्ड का क्षेत्रफल

= 39,999.76 वर्ग मी०

सम्पूर्ण योजना में अनुमन्य भू-आच्छादित क्षेत्रफल

= 13,999.916 वर्ग मी० (35%)

सम्पूर्ण योजना में स्वीकृत भू-आच्छादित क्षेत्रफल

= 8825.979 वर्ग मी०

(पूर्व में अधिभोग जारी सहित)

पूर्व में निर्मित भू-आच्छादन क्षेत्रफल(7 टॉवर्स)

= 3,362.046 वर्ग मी०

पूर्व में निर्मित भू-आच्छादन क्षेत्रफल (5 टॉवर्स)

= 4285.348 वर्ग मी०

वर्तमान में निर्मित भू-आच्छादन(टॉवर सं०-००० एवं वाणिज्यिक)

= 1038.265 वर्ग मी०

कुल निर्मित भू-आच्छादित क्षेत्रफल

= 8,685.659 वर्ग मी०

(टॉवर सं०-डी, ई, एफ, जी, एच, जे, के, ए, बी, एल, एम, एन, ओ, वाणिज्यिक व कम्प्लीनिटी)

एफ०ए०आर० का विवरण

सम्पूर्ण योजना में अनुमन्य एफ०ए०आर० (3.5 क्रय योग्य एफ०ए०आर० सहित)	= 1,39,999.160 वर्ग मी०
सम्पूर्ण योजना में स्वीकृत एफ०ए०आर० (क्रय योग्य एफ०ए०आर० सहित)	= 1,21,934.443 वर्ग मी०
पूर्व में निर्मित एफ.ए.आर.(7 टॉवर्स अधिभोग जारी) पूर्व में निर्मित एफ.ए.आर.(5 टॉवर्स)	= 49,177.881 वर्ग मी० = 54,320.267 वर्ग मी०
वर्तमान में निर्मित एफ.ए.आर.(टॉवर सं०-ओ० व वाणिज्यिक)	= 18,053.150 वर्ग मी०
सम्पूर्ण योजना में कुल निर्मित एफ०ए०आर० (टॉवर सं०-डी, ई, एफ, जी, एच, जे, के, ए, बी, एल, एम, एन, ओ, वाणिज्यिक व कम्युनिटी)	= 1,21,551.298 वर्ग मी०

ड्यूलिंग यूनिट्स का विवरण

कुल स्वीकृत ड्यूलिंग यूनिट्स	= 1405 यूनिट्स
पूर्व में निर्मित ड्यूलिंग यूनिट्स(अधिभोग जारी)	= 604 यूनिट्स
पूर्व में निर्मित ड्यूलिंग यूनिट्स	= 404 यूनिट्स
वर्तमान में निर्मित ड्यूलिंग यूनिट्स	= 395 यूनिट्स
कुल निर्मित ड्यूलिंग यूनिट्स	= 1403 यूनिट्स

प्रतिबन्ध-

1. यह जारी किये जाने वाला अधिभोग प्रमाण पत्र ओखला पक्षी विहार के इको सेन्सेटिव जोन निर्धारण के सम्बन्ध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष विचाराधीन मूल प्रार्थना पत्र सं०-३७५ वर्ष 2015, परमवीर सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में पारित अंतिम निर्णय के अनुपालन हेतु पट्टाधारक/उप पट्टाधारक बाध्य होंगे ।
2. नौएडा भवन विनियमावली-2010, उ०प्र० ॲपार्टमेंट एक्ट-2010, पर्यावरण विभाग/माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण तथा अन्य सम्बन्धित राज्य व केन्द्र सरकार के लागू होने वाले सभी अधिनियमों एवं उसके अन्तर्गत नियमों/निर्देशों आदि (अध्यावधिक यथा संशोधित एवं प्रभावी) का अनुपालन आबंटी संस्था पर बाध्यकारी होगा ।
3. अधिभोग प्रमाण पत्र एवं मानचित्रों में दशायी गयी स्वीकृति के सापेक्ष प्राधिकरण की स्वीकृति प्राप्त किये बिना किसी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन आदि किया जाना अनाधिकृत माना जायेगा तथा उसके ध्वस्त कर/हटाये जाने की विधिक कार्यवाही की जायेगी ।
4. अग्निशमन, लिफ्ट संचालन, वर्षा जल संचालन प्रणाली, जल संरक्षण व रिसाइकिलिंग, लैण्डरकेप/हरित क्षेत्र/खुला क्षेत्र/वृक्षारोपण, सीवेज सिस्टम, कूँड़ा एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, पर्यावरणीय एवं प्रदूषण सम्बन्धी व्यवस्था व प्रणालियों आदि का रखरखाव व संचालन गुणवत्तापूर्वक करने के साथ हमेशा कार्यशील स्थिति में रखा जाना अनिवार्य होगा अन्यथा समापन मानचित्र निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी ।
5. सम्पूर्ण योजना के अधिभोग हेतु आवेदन के समय नियमानुसार पूर्ण देय लेबर सेस जमा कराना सुनिश्चित करेंगे ।
6. यह अधिभोग प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ जारी किया जा रहा है कि भविष्य में यदि फ्लैट क्रेता द्वारा मानचित्र में बदलाव या किन्ही अन्य कारणों से असहमति घटक की जाती है तो आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।



7. आवंटी संस्था द्वारा रेरा (Real Estate Regulatory Act) में दिये गये प्राविधानों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा ।
8. फ्लैट स्वामियों व अन्य के विजिटर्स हेतु कार पार्किंग की व्यवस्था परिसर के भीतर ही कराना सुनिश्चित करें । सड़क पर किसी भी प्रकार की पार्किंग न करें ।
संलग्नक: भवन के समापन मानचित्र ।

Completion Drawing is as per Building
Laws submitted for approval by.....

M. Asstt.

Arch. A.A.S.

Architect

प्रतिलिपि: विशेषकार्यधिकारी(ग्रुप हाउसिंग) को सूचनार्थ ।

भवदीय

नाम
पद

तीएडा
मुख्य नियोग
नियोग